संख्या– 1494/XV-1/17/1(6)16

प्रेषक,

आर०मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 22 दिसम्बर, 2017

विषयः पशुपालन सांख्यिकीय प्रकोष्ठ की स्थापना (50 प्र०के०स०) योजनान्तर्गत बजट अवमुक्त करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3680/नि0–5/एक(6)सांख्यकीय/बजट/2017–18 10 अक्टूबर, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में पशुपालन सांख्यिकीय प्रकोष्ठ की स्थापना (50 प्र०के०स०) योजनान्तर्गत अवशेष केन्द्रांश ₹ 24.35 लाख (चौबीस लाख पैंतीस हजार मात्र) के सापेक्ष योजनान्तर्गत केन्द्रांश के रूप में ₹23.67 लाख (तेईस लाख सडसठ हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्न विवरणानुसार प्रादिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि हजार ₹ में)

क्र० सं०	मद का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	01–वेतन	2124
2	03–महगांई भत्ता	06
3	04–यात्रा भत्ता	192
3	06–अन्य भत्ता	45
4	44–प्रशिक्षण व्यय	00
	योग	2367

1. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग भारत सरकार को प्रेषित कार्य योजना के अनुसार ही किया जाय तथा अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

2. उक्त धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बी०एम०–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग एवं महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत व व्यय धनराशि का लेखा मिलान प्रत्येक माह महालेखाकार कार्यालय उत्तराखण्ड से कराया जाना आवश्यक होगा।

3. धनराशि को व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाय, धनराशि का आहरण एवं व्यय आवयकतानुसार ही किया जाय।

4. स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता/दुरूपयोग/ दोहरीकरण (Doubling) पाये जाने पर विभागाध्यक्ष एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होगें।

5. स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका स्टोर परचेज रूल्स जी०जी०एस०एण्ड डी० की दरें टैण्डर/कोटेशन विषयक नियम एवं मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, जहाँ कहीं आवश्यक हो तो धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृत अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6. स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2018 तक उपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में शासन/भारत सरकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन –00–113–प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकीय– 01–केन्द्रीय /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0102–पशुपालन सांख्यिकीय प्रकोष्ठ की स्थापना (50 प्रतिशत केन्द्र पोषित) योजनान्तर्गत सुसंगत इकाईयों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर०मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्याः 1484 (1)/XV-1/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कूमायूं मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग।
7. राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय देहरादून।
10. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी०एस० पुन्डीर)
उप सचिव